राष्ट्रीय
www.samaylive.com
सहारा
सच कहने की हिम्मत
राष्ट्रीयता • कर्तव्य • समर्पण
नई दिल्ली। शनिवार • 6 दिसम्बर • 2014

अब नेबरहुड-सिबलिंग-एल्युमनी से दाखिले

राकेश नाथ/एसएनबी

नई दिल्ली। नर्सरी में दाखिला इस बार स्कूलों में प्वाइंट सिस्टम से नहीं होगा। इस बार नेबरहुड, सिबलिंग, एल्युमनी कैटेगरी जैसे प्रमुख बिंदुओं से दाखिला होगा। इसके अलावा चौथी कैटेगरी में स्कूल स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव रहेगा, जिसमें हर स्कूल अपनी सुविधानुसार गर्ल चाइल्ड, सिंगल पैरेंट, विडो, डायवोर्सी आदि जैसी कैटेगरी रख सकेंगे। स्कूलों की एक्शन कमेटी इस तरह की गाइडलाइन लेकर आ रही है। कमेटी इस बार नर्सरी का एडमिशन प्रोसेस 20 दिसम्बर से शुरू करने के मूड में है। आवेदन के लिए पैरेंट्स को 15 दिन दिए जाएंगे।

नर्सरी दाखिले को लेकर हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने स्कूलों को ... की शिकायतों के बाद खत्म कर दिया था और खुद स्कूलों के लिए एडमिशन क्राइटेरिया बना दिया था। इसमें नेबरहुड, सिबलिंग, एल्युमनी और ट्रांसफर केस था, लेकिन बाद में ट्रांसफर केस को भी हटा दिया था, लेकिन इस बार नर्सरी एडमिशन सीन बदला हुआ है। स्कूलों को कोर्ट से फिर से एडमिशन क्राइटेरिया तैयार करने का अधिकार दिया गया है। लिहाजा स्कूलों की एक्शन कमेटी ने सात स्कूलों के प्रधानाचार्यों की कमेटी बना दी है और वह गाइडलाइन तैयार कर रही है।

स्कूलों की एक्शन कमेटी के चेयरमैन एसके भट्टाचार्य ने बताया कि एडमिशन क्राइटेरिया को लेकर कमेटी की दो बार बैठक हो चुकी है। तीसरी बैठक सोमवार को होगी और मंगलवार तक एडमिशन क्राइटेरिया का पता लग जाएगा। श्री भट्टाचार्य ने बताया कि नर्सरी के एडमिशन क्राइटेरिया में आप इस बार गांगुली कमेटी का फॉर्मूला या प्वाइंट सिस्टम को भूल जाइये। कमेटी सभी स्कूलों के लिए एक यूनीफार्म एडमिशन क्राइटेरिया बना रही है, जिससे कि कोई भी स्कूल मनमानी न कर सके। उन्होंने बताया कि इस बार नेबरहुड क्राइटेरिया में स्कूलों को यह छूट दी जाएगी कि वह अपने गाइडलाइन को स्कूल मानेंगे। पीतमपुरा स्थित एमएम पब्लिक स्कूल के निदेशक सोमेश पाठक ने कहा कि कोर्ट ने कहा था कि पैरेंट्स को अपनी मनमर्जी का स्कूल चुनने का अधिकार होना चाहिए। श्री पाठक ने कहा कि एडमिशन क्राइटेरिया में 20-25 फीसद ओपन सीट होनी चाहिए, जो कोई बच्चा किसी भी कैटेगरी में नहीं आता हो तो वह इस कैटेगरी में आवेदन कर सके। इससे बाद में अभिभावक कोर्ट के चक्कर न काटें और स्कूलों को बेवजह परेशानी न हो।

नर्सरी दाखिला 2015-16

- गर्ल चाइल्ड, सिंगल पैरेंट, डायवोर्सी, विडो आदि फैक्टर भी रहेंगे
- आवेदन के लिए मिलेंगे 15 दिन

सुनवाई सोमवार को

- उप राज्यपाल की गाइडलाइंस के खिलाफ एकल बेंच के आदेश को दिल्ली सरकार व एक स्वयंसेवी संस्था ने दी है चुनौती

नई दिल्ली (एसएनबी)। राजधानी के निजी स्कूलों में नर्सरी दाखिले के लिए उप राज्यपाल द्वारा जारी गाइडलाइंस को सिंगल बेंच द्वारा खारिज करने के आदेश को चुनौती देने के मामले में हाईकोर्ट सोमवार यानि 8 दिसम्बर को सुनवाई करेगा। इस मामले में दिल्ली सरकार व एक स्वयंसेवी संस्था ने डबल बेंच के समक्ष उक्त आदेश को खारिज ... सरकार की तरफ से कहा गया है कि सिंगल बेंच का आदेश भ्रामक व कानून सम्मत नहीं है। याचिका में कहा गया है कि उप राज्यपाल ने गत वर्ष 18 व 27 दिसम्बर को जो नोटिफिकेशन जारी किया था और जिसमें प्वाइंट सिस्टम दिया था, वह उचित था और उक्त आदेश को निजी स्कूलों के लिए मानना जरूरी है। सिंगल बेंच के आदेश को त्रुटिपूर्ण बताते हुए कहा गया है कि उक्त आदेश आर्टिकल 21 व 21-ए के कानून के सम्मत नहीं है।